अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनपीएस लाइट

(ऐग्रिगेटर एवं अभिदाता के लिए)

<u>सामान्य</u>

1) एनपीएस लाइट क्या है?

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से विभिन्न आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीएस का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किया है, इन पिछड़े समूहों में मुख्यतः निम्न आय वर्ग और कम शिक्षित वर्ग से आने वालो लोगों का समावेश होता है । एनपीएस के इस वैकल्पिक प्रारूप का नाम एनपीएस-लाइट है, जो सर्व नागरिक मॉडल की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत संरचना का रखा गया है. स्वयंसेवक समूह (ऐग्रिगेटर्स), सरकार (केंद्र और/या राज्य) सह-प्रायोजित योजनाएं (जीसीएस), सरकारी जनकल्याण और बंधुत्व समूहों को एनपीएस-लाइट के दायरे में रखा गया है । 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के एनपीएस लाइट के अभिदाता ऐग्रिगेटर्स के माध्यम से एनपीएस-लाइट में शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र तक अंशदान दे सकते हैं.

<u>नोडल कार्यालय पंजीकरण</u>

1) सीआरए सिस्टम में ऐग्रिगेटर कार्यालयों की पहचान कैसे की जाती है?

ऐग्रिगेटर कार्यालयों को एक विशिष्ट संख्या, यानि कि सफलतापूर्वक पंजीकरण पूरा करने पर सीआरए द्वारा उन्हें प्रदान किये गये एनएल -ओओ /एनएल-एओ / एनएल-सीसी पंजीकरण क्रमांक से पहचाना जाता है ।

2) एनपीएस लाइट में एनएल -ओओ के क्या कार्य हैं?

एनएल -ओओ सीआरए में निम्नलिखित कार्य करता है -

1. सीआरए में अभिदाताओं के प्रति ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में एनएल-एओ और एनएल-सीसी के प्रदर्शन की देख-रेख.

2. एनएल-एओ और एनएल-सीसी द्वारा सीआरए की कार्यकारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चिएत करने के लिये उचित कदम उठाना.

3. एनएल-एओ पंजीकरण प्रपत्र को एकत्र करना और पंजीकरण के लिये इन्हें सीआरए को भेजना.

4. एनपीएस-लाइट प्रणाली में अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) को अपलोड करना (केंद्रीकृत मॉडल की स्थिति में).

5. एनपीएस लाइट में अपलोड किये गये एससीएफ के अनुसार अंशदान की राशि को न्यासी बैंक के पास हस्तांतरित करना (केंद्रीकृत मॉडल की स्थिति में).

6. एनएल-एओ के विरुद्ध दर्ज की गयी शिकायतों के समाधान पर नज़र रखना.

3) एनपीएस लाइट में एनएल-एओ के क्या कार्य हैं?

एनएल-एओ पर निम्नलिखित कार्य करने की ज़िम्मेदारी है:

1. एनएल-सीसी पंजीकरण आवेदनों को जमा करके इन्हें पंजीकरण के लिये सीआरए में भेजना ।

2. संबद्ध एनएल-सीसी से प्राप्त प्रान के आवंटन के आवेदनों को जमा करके इन्हें सीआरए-एफसी में भेज कर अभिदाता का पंजीकरण करवाना.

3. एनपीएस-लाइट प्रणाली में अभिदाता कॉन्ट्रिब्यूशन फाइल (एससीएफ) को अपलोड करना (केंद्रीकृत मॉडल होने पर).

4. एनपीएस-लाइट में अपलोड किये गये एससीएफ के अनुसार न्यासी बैंक को अंशदान अंतरण करना (केंद्रीकृत मॉडल होने पर).

5. अभिदाताओं की ओर से प्राप्त आहरण अनुरोधों और अभिदाता विवरणों में बदलाव के अनुरोध को दर्ज करना.

6. एनएल-सीसी और अभिदाताओं की ओर से शिकायत दर्ज करना.

7. सीआरए सिस्टम में किसी भी संस्था की ओर से अपनी ओर दर्ज की गयी शिकायत का समाधान करना.

4) एनपीएस लाइट में एनएल-सीसी के क्या कार्य हैं?

एनएल-सीसी पर निम्नलिखित कार्य करने की ज़िम्मेदारी है:

1. अभिदाताओं की ओर से पूरी तरह भरा गया प्रान के आवंटन का आवेदन प्राप्त करना और इसे एनएल-एओ के पास भेजना.

2. अभिदाताओं को प्रान किट का वितरण करना. अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतें, अभिदाता विवरण में बदलाव के अनुरोध, आहरण अनुरोध इत्यादि एनएल-एओ को भेजना.

3. अभिदाता के पेंशन अंशदान से संबंधित जानकारी एनएल-एओ को देना.

4. अभिदाता की शिकायतें एनएल-एओ तक पहुंचाना

5) एनपीएस लाइट प्रणाली में एनएल-ओओ का पंजीकरण कैसे होता है?

एनएल-ओओ पंजीकरण के लिये सीआरए के पास अनुसूची एन 1 में पूरी तरह भरा गया आवेदन पत्र जमा करेगा । आवेदन सही पाये जाने पर, सीआरए एनएल-ओओ को पंजीकृत करेगा और एक एनएल-ओओ पंजीकरण संख्या जारी करेगा । पंजीकरण सफलतापूर्व पूरा हो जाने पर, सीआरए एनएल-ओओ को पंजीकरण विवरण संबंधित सूचना भेजेगा और साथ ही एनपीएस-लाइट/सीआरए सिस्टम के ऐक्सेस के लिये यूज़र आइडी और आइ-पिन प्रदान करेगा.

6) एनपीएस-लाइट प्रणाली में एनएल-एओ का पंजीकरण कैसे होता है?

एनएल-एओ पंजीकरण के लिये अपने एनएल-ओओ के पास अनुसूची एन 2 में पूरी तरह भरा गया आवेदन पत्र जमा करेगा । एनएल-ओओ इस आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद इसे सीआरए

को भेजेगा । आवेदन सही पाया जाने पर, सीआरए एनएल-एओ को पंजीकृत करेगा और एक एनएल-एओ पंजीकरण संख्या जारी करेगा । सीआरए एनपीएस-लाइट/सीआरए सिस्टम के उपयोग के लिये यूज़र आइडी और आइ-पिन आवंटित करेगा और इन्हें भेजेगा । यदि एनएल-ओओ सीआरए में पंजीकृत नहीं है, तो उसे एनएल-एओ का आवेदन भेजने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा । इसके बाद ही एनएल-एओ सीआरए के पास पूरी तरह भरा गया अनुसूची एन 2 एनएल-ओओ के माध्यम से जमा करेगा ।

7) एनपीएस-लाइट में एनएल-ओओ सह एनएल-एओ का पंजीकरण कैसे होता है?

यदि एनएल-ओओ एनएल-ओओ सह एनएल-एओ है, यानि कि यह एनएल-ओओ और एनएल-एओ दोनों के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसे सीआरए के पास एनएल-ओओ और एनएल-एओ, दोनों के रूप में पंजीकरण कराना पड़ेगा. इस उद्देश्य के लिये, इसे एनपीएस लाइट में पंजीकरण के दोनों आवेदन, यानि कि एनएल-एन1 और एनएल-एन2 जमा करने होंगे. सफल पंजीकरण होने पर, एनपीएस लाइट एनएल-ओओ को एनएल-ओओ पंजीकरण संख्या के साथ-साथ एनएल-एओ पंजीकरण संख्या भी प्रदान करेगा ।

8) एनपीएस-लाइट प्रणाली में एनएल-सीसी का पंजीकरण कैसे होता है?

एनएल-सीसी अपने एनएल-एओ के पास परिशिष्ट एनएल-एन3 में पूरी तरह भरा गया पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करेगा. एनएल-एओ इस आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद परिशिष्ट एस5 के अनुसार लिखे गये एक सहायक पत्र के साथ इस आवेदन को सीआरए के पास भेजेगा. आवेदन सही होने पर, सीआरए एनएल-सीसी का पंजीकरण करेगा और एनएल-सीसी पंजीकरण संख्या जारी करेगा । पंजीकरण सफल होने पर, सीआरए एनएल-सीसी के पंजीकरण का विवरण एनएल-एओ को भेजेगा । यदि एनएल-एओ सीआरए के साथ पंजीकृत नहीं है, तो उसे एनएल-सीसी के पंजीकरण का आवेदन भेजने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा ।

9) एनपीएस लाइट प्रणाली में एनएल-एओ सह एनएल-सीसी का पंजीकरण कैसे होता है?

यदि एनएल-एओ एक एनएल-एओ सह एनएल-सीसी है यानि कि एनएल-एओ के साथ-साथ एनएल-सीसी के रूप में भी कार्य कर रहा है, तो इसे सीआरए के पास एनएल-एओ और एनएल-

सीसी, दोनों रूपों में पंजीकरण कराना होगा. इस उद्देश्य के लिये, इसे सीआरए के पास दोनों आवेदन, यानि कि एनएल-एन2 और एनएल-एन3 जमा करने होंगे. सफल पंजीकरण होने पर, एनपीएस लाइट एनएल-एओ सह एनएल- सीसी को एनएल-एओ पंजीकरण संख्या के साथ-साथ एनएल- सीसी पंजीकरण संख्या भी प्रदान करेगा ।

10) एनपीएस लाइट प्रणाली में एनएल-ओओ सह एनएल-एओ सह एनएल-सीसी का पंजीकरण कैसे होता है?

यदि एनएल-ओओ एक एनएल-ओओ सह एनएल-एओ सह एनएल-सीसी हो, यानि कि एनएल-ओओ के साथ-साथ एनएल-एओ और एनएल-सीसी के रूप में भी कार्यरत हो, तो इसे सीआरए में एनएल-ओओ और एनएल-एओ और एनएल-सीसी के रूप में पंजीकरण कराना होगा. इस उद्देश्य के लिये इसे परिशिष्ट एनएल-एन1, एनएल-एन2 और एनएल-एन3, तीनों आवेदन पत्र सीआरए में जमा करने होंगे. पंजीकरण सफल होने पर सीआरए एनएल-ओओ सह एनएल-एओ सह एनएल-सीसी को एनएल-ओओ पंजीकरण संख्या, एनएल-एओ पंजीकरण संख्या और एनएल-सीसी पंजीकरण संख्या जारी करेगा. इसके बाद एनएल-ओओ को सीआरए में अधिकारियों की भूमिका निर्धारित करनी चाहिये, और इसी के अनुसार यूज़र आइडी और आइ-पिन जारी करने चाहिये ।

11) ऐग्रिगेटर पंजीकरण प्रपत्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

ऐग्रिगेटर सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in. से संबंद्ध पंजीकरण प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।

12) सीआरए में पंजीकरण के लिये ऐग्रिगेटर कार्यालय द्वारा कौन से विवरण जमा किये जाने चाहिये?

ऐग्रिगेटर कार्यालय पंजीकरण प्रपत्र में कार्यालय का नाम, पता, संपर्क विवरण, आधिकारिक ई-मेल आइडी, बैंक विवरण जैसे सभी विवरण जमा करेगा । आवेदन पर संबंद्ध ऐग्रिगेटर कार्यालय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिये ।

13) ऐग्रिगेटर कार्यालय सीआरए के साथ दर्ज किये गये अपने विवरणों में सुधार कैसे कर सकते हैं?

पीएओ आवेदन को स्वीकार करने से पहले जाँच द्वारा सुनिश्चिनत करता है कि नाम व्यक्त किया गया है, फोटोग्राफ लगाया गया है, हस्ताक्षर मौजूद है अन्य अनिवार्य खंड सही तरीके से भरे गये हैं. आवेदन में आवश्यक विवरण न भरे गये होने की स्थिति में सीआरए-एफसी पंजीकरण का आवेदन स्वीकार नहीं करता. सीआरए-एफसी पीएओ को आवेदन अस्वीकार किये जाने की सूचना देते हैं ।

14) एनपीएस-लाइट की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिये ऐग्रिगेटर एनपीएस-लाइट प्रणाली का ऐक्सेस किस प्रकार कर सकता हैं?

ऐग्रिगेटर एनपीएस-लाइट की वेबसाइट website www.npslite-nsdl.com या सीआरए की वेबसाइट website www.npscra.nsdl.co.in. के द्वारा सीआरए सिस्टम का ऐक्सेस कर सकते हैं। अभिदाता के अंशदान के विवरण अपलोड करने के लिये, अभिदाता के विवरणों में बदलाव के लिये, अभिदाता के विभिन्न अनुरोधों का सुधार करने के लिये एनपीएस-लाइट का ऐक्सेस किया जा सकता है। शिकायतें दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति जानने के लिये सीआरए वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही वेबसाइट का इस्तेमाल इंटरनेट पर सीआरए द्वारा जारी किये गये यूज़र आइडी और आइ-पिन की मदद से किया जा सकता है।

15) I-पिन' क्या है?

I-पिन इंटरनेट के माध्यम से सीआरए/ एनपीएसलाईट सिस्टम तक पहुँचने के लिए सीआरए द्वारा एनएलओओ और एनएलएओ को जारी की गई आठ कैरेक्टर की एक व्यक्तिगत इंटरनेट पहचान संख्या है। सीआरए एनएलओओ और एनएलएओ को I-पिन के दो सेट जारी करता है । एग्रीगेटर कार्यालय उसी यूजर आईडी और I-पिन द्वारा सीआरए वेबसाइट www.cra-nsdl.com और एनपीएसलाईट वेबसाइट दोनों का उपयोग कर सकते हैं । एग्रीगेटर कार्यालय को I-पिन की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए।

16) एनएल-एओ और एनएल-ओओ को दो यूज़र आइडी और आइ-पिन क्यों दिये जाते हैं?

एनएल-एओ की कुछ कार्यो में मेकर और चेकर गतिविधियों का समावेश है यानि कि अभिदाता का अनुरोध एक अधिकारी द्वारा एक यूज़र आइडी और आइ-पिन का इस्तेमाल करते हुए दर्ज किया जायेगा, जबकि दूसरा अधिकारी इस अनुरोध को संपन्न करने के लिये दूसरे यूज़र आइडी और आइ-पिन का इस्तेमाल करेगा । इसलिये, एनएल-एओज़ को दो यूज़र आइडी और आइ-पिन दिये जाते हैं । इस उद्देश्य के लिये एनएल-ओओ और एनएल-एओ दो अधिकारियों को चुनेंगे, जिनमें से एक मेकर और दूसरा चेकर गतिविधियों को संपन्न करेगा, और उनके कार्य के अनुसार संबद्ध यूज़र आइडी और पिन उन्हें दी जायेगी । साथ ही, एक आइ-पिन के लॉक हो जाने पर एनपीएस-लाइट वेबसाइट के इस्तेमाल के लिये दूसरी आइ-पिन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

17) आइ-पिन भूल जाने/खो जाने की स्थिति में ऐग्रिगेटर कार्यालय को क्या करना चाहिये?

ऐग्रिगेटर कार्यालय सीआरए के पास आइ-पिन दुबारा जारी करने का आवेदन जमा करके आइ-पिन दुबारा जारी करवा सकता है । एनएल-ओओ और एनएल-एओ सीआरए, एनपीएस-लाइट को नया पिन जारी करने का लिखित आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर, सीआरए आइ-पिन को मुद्रित करके ऐग्रिगेटर कार्यालय को भेज देता है।

<u>अभिदाता पंजीकरण</u>

1) एनपीएस-लाइट में अभिदाताओं किन्हें कहा जाता है?

एनपीएस-लाइट में अभिदाता 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के सुविधाहीन लोग कहे जाते हैं, जो स्वयंसेवक समूहों (ऐग्रिगेटर्स) के माध्यम से एनपीएस-लाइट प्रणाली में शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की उम्र तक पैसे जमा कर सकते हैं ।

2) अभिदाता पंजीकरण की पूर्वावश्यकताएं क्या हैं?

एनपीएस-लाइट में अभिदाता के पंजीकरण के लिये निम्नलिखित स्थितियाँ पूरी की जानी चाहिये:

- अभिदाता को एनपीएस-लाइट के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है ।
- ऐग्रिगेटर कार्यालय, यानि सम्बंधित एनएल-ओओ, एनएल-एओ और एनएल-सीसी एनपीएस-लाइट के अंतर्गत पंजीकृत हैं और उन्हें एनपीएस-लाइट की ओर से पंजीकरण संख्या प्राप्त हो चुकी है ।

3) अभिदाता प्रान के लिये आवेदन कैसे कर सकता है?

अभिदाता प्रान के आवंटन के लिए विधिवत भरे हुए सीएसआरएफ 1 का आवेदन एनएल-सीसी को प्रस्तुत करेगा. केवल सीआरए से पंजीकृत एनएल-सीसी ही अभिदाता के प्रान के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर एनएल-सीसी पंजीकृत नहीं है, तो पहले इसे सीआरए से खुद को पंजीकृत करना होगा ।

4) अभिदाता के पंजीकरण प्रपत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता है?

अभिदाता के पंजीकरण प्रपत्र सीआरए की वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in. से डाउनलोड कर सकते हैं ।

5) अभिदाता के पंजीकरण प्रपत्र में कौन से विवरण भरे जाने चाहिये?

प्रान के आवंटन के लिये आवेदन में निम्नलिखित विवरण प्रदान किये जाने चाहिये.

अभिदाता पंजीकरण आवेदन पत्र निम्नलिखित खंडों में बँटा होता है;

खंड ए - अभिदाता के व्यक्तिगत विवरण (अभिदाता द्वारा दिये जाने चाहिये)

खंड बी - अभिदाता के नामांकन का विवरण (वैकल्पिक विवरण और अभिदाता द्वारा दिया जाना चाहिये)

खंड सी - बैंक खाते के विवरण

6) अभिदाता के पंजीकरण प्रपत्र में दिये जाने वाले अनिवार्य विवरण कौन से हैं?

पंजीकरण के समय व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य होते हैं, जबकि नामांकन के विवरण वैकल्पिक होते हैं। अभिदाता को योजनाएं चुनने का विकल्प नहीं दिया जायेगा । पंजीकरण के समय एनएल-ओओ द्वारा चुनी गयी योजना एनएल-ओओ के दायरे में आने वाले सभी अभिदाताओं के लिये अनिवार्य होगी। अभिदाता प्रत्येक नमिति का प्रतिशत हिस्सा बताते हुए तीन लोगों को नामांकित कर सकता है. सभी नमिति के प्रतिशत हिस्सों का कुल योग 100 न होने पर, सीआरए में नामांकन को दर्ज नहीं किया जायेगा ।

7) अभिदाता पंजीकरण में एनएल-सीसी की क्या भूमिका होती है?

अभिदाता एनएल-सीसी में अनुसूची एस 2 जमा करता है. एनएल-सीसी सभी सदस्य अभिदाताओं से प्राप्त आवेदनों को एकत्र करता है और अनुसूची एस 5 के अनुसार लिखे गये कवरिंग लेटर के साथ इन्हें एनएल-एओ को भेजता है । कवरिंग लेटर को सीआरए की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। एनएन-एओ को ध्यान देना चाहिये कि प्रान जारी न किये जाने तक, एनएल-एओ अभिदाता के अंशदान विवरण अपलोड नहीं कर सकता ।

8) अभिदाता पंजीकरण के लिये एनएल-सीसी की जाँच सूची क्या हैं?

एनएल-सीसी की जाँच-सूची इस प्रकार है:

- सभी अनिवार्य खंडों को भरा गया है
- अभिदाता के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर
- मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
- अधिकतम 999 अभिदाता पंजीकरण प्रपत्रों के साथ एनएल-सीसी कवरिंग लेटर प्रदान करें ।

9) अभिदाता पंजीकरण के सहायक पत्रों को तैयार करने से संबंधित निर्देश क्या हैं?

एनएल-सीसी अधिकतम 999 अभिदाता आवेदनों का बैच तैयार करेगी, और प्रत्येक बैच के लिये परिशिष्ट एस 5 के अनुसार एनएल-एओ को भेजा जाने वाला एक कवरिंग लेटर तैयार करेगी। एनएल-एओ को ध्यान देना चाहिये एक बैच / कवरिंग लेटर के अंतर्गत आवेदनों की संख्या 999 से अधिक नहीं होनी चाहिये, जैसे यदि 1080 आवेदन हैं, तो एनएल-सीसी को दो कवरिंग लेटर के साथ 999 और 81 आवेदनों के दो अलग-अलग बैच बनाने चाहिये ।

10) अभिदाता पंजीकरण में एनएल-एओ की क्या भूमिका है?

सीआरए के साथ पंजीकृत एनएल-एओ और एनएल-सीसी के अभिदाता ही प्रान के आवंटन के लिये आवेदन कर सकते हैं। एनएल-एओ/एनएल-सीसी पंजीकृत न होने पर, इसे पहले एनपीएस-लाइट के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। संबद्ध एनएल-सीसी से अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त होने पर, एनएल-एओ आवेदन पत्रों का सत्यापन करता है। एनएल-एओ अनुसूची एस 6 के अनुसार एक कवरिंग लेटर के साथ आवेदन पत्रों को सीआरए-एफसी के पास भेजता है। कवरिंग लेटर का प्रारूप और सीआरए-एफसी की सूची सीआरए वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

11) अभिदाता पंजीकरण के लिये एनएल-एओ की जाँच सूची क्या है?

एनएल-एओ की जाँच सूची इस प्रकार है:

- अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र विवरणों के साथ एकत्रित करना और इनके ठीक से भरे होने की जाँच करना
- आवेदनों की संख्या तथा एनएल-ओओ विवरण इत्यादि के साथ कवरिंग लेटर तैयार करना.
- एक कवरिंग लेटर के साथ अधिकतम 999 आवेदन भेजे जा सकते हैं.

12) सीआरए-एफसी क्या है?

सीआरए-एफसी अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र स्वीकार करने के लिये सीआरए द्वारा नियुक्त सेवा केंद्र हैं। सीआरए-एफसी आवेदनों को डिजिटाइज़ करते हैं और इन्हें सीआरए सिस्टम में अपलोड करते हैं। सीआरए-एफसी के विवरण सीआरए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

13) सीआरए-एफसी को आवेदन जमा किये जाने का क्या प्रमाण होता है?

अभिदाता के आवेदन स्वीकार करते समय, सीआरए-एफसी एक प्रावधानिक रसीद प्रदान करता है, जिसमें प्रावधानिक रसीद संख्या (पीआरएन), एनएल-एओ द्वारा जमा किये गये आवेदनों की संख्या, सीआरए-एफसी द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या और सीआरए-एफसी द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या के विवरण होते हैं. आवेदनों के प्रत्येक समूह के लिये एक पीआरएन जारी किया जायेगा (यानि कि प्रत्येक एनएल-सीसी सहायक पत्र के लिये). प्रत्येक समूह में, सीआरए-एफसी समूह के प्रत्येक आवेदन के लिये एक अभिस्वीकृति संख्या भी व्यक्त करेंगे. अभिस्वीकृति संख्या पीआरएन के साथ प्रत्येक आवेदन की तीन अंकों की क्रमिक संख्या होगी. उदाहरण के तौर पर, पीआरएन 10187730000006 हो सकता है, यदि सीआरए-एफसी ओ 145 आवेदन प्राप्त हों तो, आवेदनों के लिये अभिस्वीकृति संख्याएं 10187730000006001-10187730000006145 होंगी. प्रावधानिक रसीद (पीआर) एनएल-एओ के ई-मेल अड्रेस पर भेजी जायेगी।

14) एनएल-एओ/एनएल-सीसी सीआरए-एफसी में जमा किये गये पंजीकरण प्रपत्रों की स्थिति कैसे जान सकते हैं?

एनएल-एओ/एनएल-सीसी एनपीएस-लाइट की वेबसाइट www.npslite-nsdl.com पर ‘‘सब्सक्राइबर रेजिस्ट्रेशन स्टेटस व्यू विकल्प में पीआरएन या पावती संख्या बताकर सीआरए से अभिदाता के आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।

15) अभिदाता को प्रान की सूचना कैसे दी जाती है?

सीआरए प्रान कार्ड और अभिदाता मास्टर रिपोर्ट ।-पिन और टी-पिन के साथ युक्त प्रान किट संबंधित एनएलएओ को भेजेगा जो आगे एनएलसीसी को अग्रेषित करेगा । एनएलएओ से प्रान किट की प्राप्ति पर एनएलसीसी आवेदन में प्राप्त प्रान किट्स में सामंजस्य करेगा और प्रान किट संबंधित अभिदाता को दे देगा।

<u>अभिदाता रखरखाव</u>

1) अभिदाता पंजीकरण के समय सीआरए के पास जमा किये गये विवरणों को कैसे बदल सकता है?

अभिदाता को संबंधित एनएल-सीसी के पास सीआरए द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक लिखित निवेदन जमा करना होता है, जो इसे उचित सत्यापन के बाद संबद्ध एनएल-एओ को जमा करती है। एनएल-एओ एनपीएस-लाइट वेबसाइट के माध्यम से वांछित बदलाव के लिये इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध कर सकता है।

2) एनएल-एओ अभिदाता के किन विवरणों में बदलाव कर सकता है?

एनएल-एओ एनपीएस-लाइट प्रणाली द्वारा अभिदाताओं के निम्नलिखित अनुरोधों को बदल सकता है:

- बैंक विवरणों समेत व्यक्तिगत विवरणों में बदलाव
- नामांकन के विवरणों में बदलाव
- आहरण अनुरोध

एनएल-एओ अपने अभिदाता के लिये लेन-देन विवरणिका जारी और मुद्रित कर सकता है।

3) क्या एनएल-एओ सीआरए को काग़ज़ी रूप में आवेदन भेजता है?

एनएल-एओ को अपने रेकॉर्ड के लिये बदलाव के प्राप्त आवेदन पत्रों को अपने पास रखना पड़ता है, और इन्हें सीआरए के पास नहीं भेजा जाना चाहिये। सीआरए सिर्फ एनएल-एओ से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध के आधार पर कार्य करता हैं।

4) एनपीएस-लाइट में अनुरोध अपडेट के पूर्व एनएल-एओ के लिए जाँच सूची क्या है?

अभिदाता के विवरण को अपडेट करने का इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध भेजने से पहले एनएल-एओ निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

- अभिदाता द्वारा दिया गया प्रान वैध (सक्रिय) है
- प्रान (अभिदाता) उसी एनएल-एओ से संबद्ध है
- अभिदाता ने आवेदन प्रपत्र पूरी तरह भरा है
- आवेदन प्रपत्र पर अभिदाता ने सही तरीके से हस्ताक्षर किये हैं

- आवेदन प्रपत्र अभिदाता के एनएल-सीसी द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित है
- आवेदन प्रपत्र को इसमें दिये गये निर्देशों के अनुसार भरा गया है

5) सिर्फ मेकर गतिविधि द्वारा किस अनुरोध को पूरा किया जा सकता है?

व्यक्तिगत जानकारियों में बदलाव एकमात्र यूज़र द्वारा बिना अधिकृत किये कर सकता है । लेकिन मूल जानकारी यानि कि प्रान कार्ड पर छपी जानकारी में बदलाव मेकर - चेकर द्वारा किये जाते हैं। अन्य सभी बदलाव के अनुरोध मेकर - चेकर गतिविधि द्वारा ही किये जायेंगे।

6) मेकर - ऑथराइज़र संकल्पना क्या है?

मेकर-ऑथराइज़र के अनुसार अनुरोध एक अधिकारी द्वारा एक यूज़र आइडी और आइ-पिन का इस्तेमाल करके दर्ज करता है तथा इसे ऑथराइज़ दूसरी यूज़र आइडी और आइ-पिन के इस्तेमाल से दूसरा अधिकारी करता है। एनएल-एओ मेकर और चेकर गतिविधि को पूरा करने के लिये दो अलग-अलग अधिकारियों का चुनाव करेगा । एनपीएस-लाइट में कुछ अनुरोधों के लिये सिर्फ मेकर गतिविधि की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ अनुरोधों के लिये मेकर और ऑथराइज़र दोनों की ज़रूरत पड़ती है ।

7) अभिदाता द्वारा हस्ताक्षर और फोटोग्राफ में बदलाव की मांग की जाने पर ऐग्रिगेटर की क्या भूमिका होती है?

अभिदाता को अपने एनएल-सीसी के पास निर्धारित प्रारूप में अनुरोध जमा करना होता है। अनुरोध की जाँच और अधिकृति के बाद, एनएल-सीसी को इन सभी अनुरोधों को जमा करने के बाद इन्हें एनएल-एओ को भेजना होता है । एनएल-एओ इस आग्रह की जाँच करने के बाद जमा कर इन्हें सीआरए/सीआरए-एफसी में जमा करता है। सीआरए-एफसी द्वारा इस आग्रह के अपलोड किये जाने पर नया हस्ताक्षर और/या फोटोग्राफ सीआरए सिस्टम में दर्ज हो जायेगा । सीआरए एक नया प्रान कार्ड छपवायेगी और इसे एनएल-एओ को भेजेगी, जहाँ से इसे अभिदाता को वितरण के लिये एनएल-सीसी में भेजा जायेगा।

8) एनएल-एओ अभिदाताओं के अभिदाता अंशदान रेकॉर्ड्स को कैसे प्रसंस्कृत करता है?

अभिदाता अंशदान फाइलों के अपलोड की प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित है:

- एनएल-सीसी के अनुसार अभिदाता अंशदान रेकॉर्ड्स को सम्मिलित करना.
- एफपीयू या अपने बैक ऑफिस द्वारा रेकॉर्ड्स का डिजिटाइज़ेशन.
- फाइल वैलिडेशन युटिलिटी (एफवीयू) की मदद से अंशदान फाइल को मान्य करना
- एनएल-एओ द्वारा एनपीएस-लाइट में अंशदान फाइल को अपलोड करना
- अंशदान जमा प्रपत्र (सीएसएफ) के साथ न्यासी बैंक में रकम का अंतरण

<u>अभिदाता अंशदान अपलोड</u>

1) अभिदाता अंशदान फ़ाइल (एससीएफ) क्या है?

एससीएफ एक फ़ाइल है जिसमें पेंशन निधि के प्रति अभिदाता का अंशदान (खुद का और समान योगदान) का विवरण होता है। एनएलओओ/एनएलएओ एनएलएओ/एनएलसीसी के अनुसार अभिदाता अंशदान फ़ाइल तैयार करेगा जो एनपीएसलाईट पर अपलोड किया जायेगा ।

2) अंशदान फ़ाइल कैसे तैयार की जा सकती है?

हर महीने के अंत में, एनएलसीसी अभिदाता का अंशदान विवरण एनएलएओ को अग्रेषित करेगा । एनएलएओ/एनएलओओ डेटा समेकित करेगा और सीआरए द्वारा प्रदान फाइल प्रिपरेशन यूटिलिटी (एफ़पीयू) का उपयोग कर एक अभिदाता अंशदान फ़ाइल तैयार करेगा । एससीएफ की तैयारी के लिए एनएलएओ/एनएलओओ किसी भी समकक्ष सॉफ्टवेयर का उपयोग भी कर सकता है । हालांकि, इस तरह तैयार फ़ाइल सीआरए की फ़ाइल फ़ार्मेट्स के अनुसार ही होनी चाहिए । वैकल्पिक रूप से, संबंधित एनएलएओ/एनएलओओ एफ़पीयू का उपयोग करते हुए एससीएफ बना सकता है । एफवीयू के माध्यम से फाइल को समेकित करने के बाद, फ़ाइनल एससीएफ की रचना के लिए एनएलएओ/एनएलओओ एफ़पीयू में फ़ाइल खोलेगा जो एफ़वीयू के जरिए चलाया जायगा ।

3) क्या एनएल-ओओ/एनएल-एओ एससीएफ के लिये एक से अधिक अपलोड कर सकते हैं?

एनएल-ओओ/एनएल-एओ के लिये एक साथ सम्मिलित एससीएफ अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। एनएल-ओओ, एनएल-सीसी से जब भी डेटा प्राप्त हो, तब-तब एससीएफ अपलोड कर सकते हैं।

4) एफ़पीयू क्या है?

फाइल प्रेपरेशन युटिलिटी (एफपीयू) एनएल-ओओ/एनएल-एओ को सीआरए के प्रारूप के अनुसार अभिदाता के अंशदान की फाइल तैयार करने में सक्षम बनाने के लिये सीआरए द्वारा प्रदान किया गया एक उपकरण है। इसमें एनएल-ओओ/एनएल-एओ पंजीकरण संख्या, एनएल-एओ/एनएल-सीसी

पंजीकरण संख्या, अभिदाता का प्रान, अभिदाता के अंशदान की राशि, सह-अंशदान (यदि कोई हो), भुगतान के माह, भुगतान के वर्ष, टिप्पणियों जैसी जानकारियों का समावेश होता है। कोई भी गलत जानकारी भरी जाने पर एफपीयू गलती को दर्शाता है और एनएल-एओ को इसमें सुधार के लिये संकेत देता है। एफपीयू में कॉपी, पेस्ट, इन्सर्ट/डिलीट, रोज़ जैसी एक्सेल की विशेषताएं होती हैं।

एफपीयू एक सॉफ़्टवेयर पैकेज है, जिसे पीसी पर इन्स्टॉल किया जा सकता है और जो एनएल-एओ/एनएल-ओओ को कॉन्ट्रिब्यूशन फाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। एनएल-एओ/एनएल-ओओ को हर बार पूरी फाइल तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में नयी जानकारी भरने के लिये, विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों में बदलाव के बाद पहले की फाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एफपीयू ऐसी फाइलों को खोलने और अंतिम फाइल तैयार करने के लिये बाद में एडिट करने की भी सुविधा देता है।

5) एफवीयू क्या है?

फाइल वैलिडेशन युटिलिटी (एफवीयू) एफपीयू की मदद से तैयार की गयी अंशदान फाइल को मान्य करने के लिये या ऐग्रिगेटर के अपने सॉफ़्टवेयर को अपलोड करने के लिये सीआरए द्वारा प्रदान किया गया उपकरण है। वैलिडेशन की प्रक्रिया सफल होने पर, .fvu के एक्सटेंशन के साथ एक कंट्रोल टोटल एचटीएमएल फाइल तैयार होती है, जिसे एनपीएस-लाइट/सीआरए प्रणाली में अपलोड किया जा सकता है। कोई भी वैलिडेशन असफल होने पर फाइल अस्वीकार कर दी जायेगी और एक एरर फाइल तैयार होगी, जिसमें गलती का विवरण होगा उदाहरण,एनएल-एओ/एनएल-ओओ आइडी का प्रारूप गलत है।

6) एनएल-ओओ/एनएल-एओ एफपीयू, एफवीयू या अन्य फाइल फॉर्मैट्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

एनएल-एओ एफपीयू, एफवीयू या अन्य फाइल फॉर्मैट्स सीआरए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसे सीआरए से भी प्राप्त कर सकते हैं।

7) एफपीयू और एफवीयू को चलाने के विभिन्न प्लेटफार्म कौन से हैं?

इन उपकरणों को निम्नलिखित में से किसी भी विंडोज़ प्लेटफार्म पर चलाया जा सकता है:

विन95/विन98/विन2के प्रोफेशनल/विन 2के सर्वर/विन एनटी 4.0 सर्वर/विन एक्सपी प्रोफेशनल। इसके अलावा, एफपीयू और एफवीयू को चलाने के लिये जावा (जेआरई 1.5 वर्ज़न या इससे बेहतर कोई भी वर्ज़न) इंस्टॉल किया जाना चाहिये। उपर्युक्त सॉफ़्टवेयर को http://java.com. से मुफ़्त डाउनलोड किया जा सकता है।

8) एफवीयू द्वारा तैयार की गयी आउटपुट फाइल क्या है?

एफवीयू में फॉर्मैट स्तर वैलिडेशन सफल होने पर, निर्दिष्ट पाथ पर .fvu के एक्सटेंशन के साथ एक आउटपुट फाइल और कंट्रोल टोटल एचटीएमएल फाइल तैयार होती है। .fvu फाइल में अंशदान के विवरण, एफवीयू वर्ज़न और एफवीयू द्वारा तैयार हैश वैल्यू (फाइल को छेड़छाड़ से बचाने के लिये डिजिटल लॉक) जैसी जानकारियों का समावेश होता है और जिसे एनपीएस-लाइट में अपलोड किया जाना चाहिये। एचटीएमएल प्रारूप में यह कंट्रोल टोटल फाइल एनएल-एओ के रेकॉर्ड के लिये होगी।

9) एफवीयू द्वारा फाइल सफलतापूर्वक न चलने पर एनएल-एओ को क्या करना चाहिये?

एससीएफ वैलिडेशन सफल न होने पर, एफवीयू सभी गलतियों के विवरण के साथ एक एरर रिपोर्ट तैयार करेगा। एनएल-एओ फिर से वास्तविक फाइल में गलतियों को दूर करके सभी रेकॉर्ड्स ठीक हो जाने और एससीएफ के एफयूपी द्वारा सफलतापूर्वक वैलिडेट हो जाने तक इसे एफयूवी में चलायगा।

10) एफवीयू द्वारा तैयार की गयी एरर फाइल क्या है?

एफवीयू में कोई भी वैलिडेशन असफल होने पर एफवीयू निर्धारित फोल्डर में एक एरर फाइल तैयार करता है, जिसमें सभी गलतियों का विवरण होता है, जैसे अंशदान का महीना भविष्य का महीना है।

11) एफ़वीयू द्वारा दिए जाने वाले त्रुटियों के क्या प्रकार हैं?

एफवीयू पुष्टि करता है कि फाइल सीआरए द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार है या नहीं। एफवीयू द्वारा दिखाई जाने वाली कुछ गलतियाँ इस प्रकार हैं - अभिदाता अंशदान और सरकारी अंशदान का योग मेल नहीं खा रहा, अंशदान का वर्ष भविष्य का वर्ष है इत्यादि।

12) क्या एफपीयू और एफवीयू अंशदान फाइल तैयार करने के लिये अनिवार्य हैं?

एनएल-ओओ/एनएल-एओ फाइल तैयार करने के लिये अपने सॉफ़्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, फाइल सीआरए के निर्धारित फाइल प्रारूप के अनुसार होनी चाहिये। आउटपुट फाइल का फाइलनेम एक्सटेंशन ''.txt'' होना चाहिये। फाइल एफपीयू से तैयार की गयी हो या अपने बैक ऑफिस से, एनएल-एओ के लिये फाइल एफवीयू द्वारा मान्य कराना अनिवार्य है। एफवीयू द्वारा सफलतापूर्वक मान्य न हो जाने तक फाइल को एनपीएस-लाइट प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकता। इसलिये संक्षेप में, एफवीयू का इस्तेमाल अनिवार्य है, लेकिन एफपीयू का इस्तेमाल वैकल्पिक है।

13) एनएल-एओ एससीएफ को कैसे अपलोड कर सकता है?

एनएल-एओ एनपीएस-लाइट पर लॉगिन करेगा और एफवीयू द्वारा सफलतापूर्वक मान्य एससीएफ को अपलोड करेगा। फाइल स्वीकार हो जाने पर अंशदान जमा फॉर्म (सीएसएफ) के साथ एक ट्रांज़ैक्शन आइडी तैयार होती है, जिसमें एससीएफ के विवरण होते हैं। एनएल-एओ सीएसएफ को मुद्रित करके धनराशि के हस्तांतरण के साथ न्यासी बैंक को जमा करेगा।

14) क्या एससीएफ सीआरए पर अस्वीकृत हो सकता है भले ही वह सफलतापूर्वक एफवीयू द्वारा वेलिडेटेड हो गया हो?

एफवीयू एक स्टैंडअलोन यूटिलिटी है जो केवल फ़ार्मेट लेवल वेलिडेशन की जाँच करता है ।

हालांकि, डेटाबेस लेवल वेलिडेशन जैसे पीएओ, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रान की वैधता सीआरए सिस्टम पर होता है । इसलिए, इस तरह के मामलों में फ़ाइल जो एफ़वीयू द्वारा सफलतापूर्वक वैलिडेट की गई है वह एनपीएससीएन पर अस्वीकार की जा सकती है ।

15) सीआरए पर अपलोड की गई एससीएफ की स्थिति की जांच कैसे करें?

अंशदान फ़ाइल की स्थिति की जांच करने के लिए एग्रीगेटर को एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है । उपयोगकर्ता अपलोड अवधि दर्ज करके (से और तक की तारीख) या बैच आईडी/ फ़ाइल संदर्भ संख्या या ट्रांजेक्शन आईडी द्वारा किसी खास फाइल की स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते है। एनएलएओ एससीएफ की मैच एंड बुक्ड हो जाने की स्थिती भी जाँच सकते हैं।

16) एनएल-एओ बकाया राशि के अंशदान को किस प्रकार संपन्न करता है?

बकाया राशि के अंशदानों को सीआरए में सामान्य अंशदानों के साथ अपलोड किया जा सकता है। एससीएफ तैयार करते समय, एनएल-एओ अंशदान के प्रकार में बकाया लिखता है और टिप्पणियों में बकाया राशि की अवधि व्यक्त करता है।

17) किस स्तर पर त्रुटि (एरर) फाइलें उत्पन्न होंगी?

एरर फाइल्स दो स्तरों पर तैयार की जाती हैं:

(अ) एफवीयू

(ब) एनपीएस-लाइट

एफवीयू को कोई भी वैलिडेशन असफल होने पर, एफवीयू निर्धारित फोल्डर में एक एरर फाइल तैयार करेगा जिसमें गलतियों के विवरण होंगे, जैसे अंशदान का महीना भविष्य का महीना है इत्यादि।

एनपीएस-लाइट में वैलिडेशन असफल होने पर, एक एरर फाइल तैयार करेगा जिसमें गलतियों के विवरण होंगे, समान बैच आइडी के साथ अनुलिपि फाइलें, अवैध एनएल-एओ-एनएल-सीसी मैपिंग, अवैध एनएल-एओ आइडी, अवैध प्रान एनपीएस-लाइट द्वारा अस्वीकार किये जाने पर, एरर फाइल को कॉन्ट्रिब्यूशन फाइल स्टेटस व्यू द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। अंशदान फाइल को अपलोड करते समय तैयार फाइल रेफरेंस संख्या के आधार पर एनएल-एओ फाइल की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

18) एनएल-एओ/एनएल-ओओ द्वारा अंशदान की फाइल अपलोड किये जाने की अवधि क्या होनी चाहिये?

केंद्रीकृत प्रारूप के लिये, एनएल-ओओ और अकेंद्रीकृत प्रारूप के लिये एनएल-एओ सभी कार्य दिवसों पर कार्य के अवधि के दौरान अंशदान की फाइलें अपलोड कर सकेंगे।

19) न्यासी बैंक को अंशदान अंतरण कैसे करते हैं?

एनएलओ न्यासी बैंक को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जैसे आरटीजीएस या एनईएफटी से (आर-41 तरीका) के जरिए अंशदान अंतरण करते हैं (अंशदान अंतरण (फंड ट्रांसफर) के बारे में विस्तृत निर्देशों जैसे की खाता संख्या और पीएओ स्ट्रिंग के लिए लेन-देन के लिए जारी सीएसएफ के लिए फुटनोट देखें) । न्यासी बैंक संबंधित ट्रांजेक्शन आईडी में संबंधित एनएलओ द्वारा अंशदान अंतरण की पुष्टि सीआरए को करेगा ।

20) आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से अंशदान अंतरण के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

एनएलओओ/एनएलएओ निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण आरटीजीएस/ एनईएफटी स्लिप में प्रदान करना चाहिए:

- लाभान्वित होने वाले खाता संख्या जो केंद्रीकृत मॉडल होने पर एनएलओओ के समान और विकेंद्रीकृत मॉडल होने पर एनएलएओ के सामान ।
- 26 अंकों का पीएओएफ़आईएन नं. "सेंडर टू रिसीवर इंफ़ार्मेशन' ' (केवल 7495 क्षेत्र में) लिखा जाना चाहिए ।
- न्यासी बैंक को हस्तांतरित अंशदान राशि अपलोड किए गए एससीएफ की राशि से मेल खानी चाहिए ।

उपरोक्त विवरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब तक उपरोक्त डेटा अंशदान राशि के साथ-साथ न्यासी बैंक नहीं पहुंचता, तब तक न्यासी बैंक इस स्थिति में नहीं होगा कि सीआरए को निधि पुष्टि रसीद (फंड रिसीप्ट कांफ्फर्मेशन) भेजने के लिए पीएओ और एससीएफ की पहचान करे जिसके लिए अंशदान राशि प्राप्त की जा रही है ।

<u>शिकायत और निवारण</u>

1) ऐग्रिगेटर सीआरए में शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है?

एनएल-एओ अपने यूज़र आइडी और आइ-पिन से एनपीएस लाइट की वेबसाइट www.cra-npslite.co.in द्वारा शिकायत दर्ज कर सकता है। एनएल-एओ सिर्फ उपर्युक्त पद्धतियों से शिकायत दर्ज कर सकता है। लिखित पत्र जैसी किसी भी अन्य पद्धति से की गयी शिकायत सीआरए द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2) शिकायत दर्ज करते समय कौन से विवरण दिये जाने चाहिये?

शिकायत करने वाली इकाई को अपनी पहचान, शिकायत का प्रकार, पहली बार शिकायत दर्ज की गयी है या तकाज़ा है जैसे विवरण प्रदान करने चाहिये। इनमें से कुछ विवरण अनिवार्य होंगे।

3) एनएल-एओ के माध्यम से किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं?

एनएल-एओ निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकता है:

सीआरए के खिलाफ शिकायत:

- प्रान जारी किया गया है, लेकिन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है
- प्रान जारी नहीं किया गया है/आंशिक रूप से जारी किया गया है
- आहरण की राशि प्राप्त नहीं हुई

4) अभिदाता की ओर से एनएल-एओ सीआरए के खिलाफ कौन सी शिकायतें दर्ज कर सकता है?

अभिदाता की ओर से एनएल-एओ सीआरए के खिलाफ निम्नलिखित शिकायतें दर्ज कर सकता है:

- पंजीकरण करने पर खाते के गलत विवरण - (व्यक्तिगत/रोज़गार/नामांकन योजना संरचना)
- लेन-देन का विवरण प्राप्त नहीं हुआ
- हस्ताक्षर/फ़ोटोग्राफ में बदलाव को शामिल नहीं किया गया ।

5) ऐग्रिगेटर दर्ज की गयी समस्या/शिकायत की स्थिति कैसे जान सकते हैं?

शिकायत प्राप्त होने पर, सीआरए रसीद के रूप में एक टोकन नंबर जारी करेगा। यदि शिकायत सीआरए वेबसाइट द्वारा दर्ज की गयी है, तो शिकायत सफलतापूर्वक जमा होने पर टोकन नंबर

स्क्रीन पर दिखाई देगा। टोकन नंबर के विवरण सीआरए द्वारा एनएल-एओ के ईमेल अड्रेस पर भी भेजे जायेंगे।

ऐग्रिगेटर एनपीएस लाइट की वेबसाइट के माध्यम से या कॉल सेंटर पर टोकन नंबर बताकर किसी भी तरह शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। शिकायत का समाधान हो जाने पर, सीआरए समाधान के विवरण के साथ एनएल-एओ को एक ई-मेल भेजेगा।

6) एनएल-एओ अपने खिलाफ की गयी शिकायत का समाधान कैसे कर सकता है?

एनएल-एओ आइ-पिन की मदद से सीआरए वेबसाइट पर लॉगिन करके अभिदाताओं द्वारा अपने खिलाफ दर्ज के की गयी शिकायतों के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। एनएल-एओ समस्या का समाधान करेगा और किये गये कार्य को समाधान के खंड में व्यक्त करेगा। सीआरए एनएल-एओ की समाधान की टिप्पणी शिकायकर्ता अभिदाताओं तक पहुंचायेगा।

7) क्या बकाया शिकायतों के समाधान को अगले स्तर पर ले जाने की कोई प्रणाली है?

यदि एक निश्चित अवधि के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता, तो इसे समाधान के लिये अगले स्तर पर ले जाया जायेगा और इसके समाधान के लिये पहले स्तर जैसी ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

8) शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया क्या है?

शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- लॉगिन करने के बाद यूज़र एनपीएस-लाइट प्रणाली में "व्यू स्टेटस या "लिमिटेड ऐक्सेस व्यू" को चुनेंगे।
- यूज़र स्थिति की जानकारी के लिये या तो शिकायत का टोकन नंबर या तिथि का दायरा (तिथि से - तिथि तक) प्रदान करेंगे। लिमिटेड ऐक्सेस व्यू के लिये यूज़र को टोकन नंबर के साथ-साथ शिकायतकर्ता की पहचान जिसके लिए शिकायत दर्ज की गई है, व्यक्त करनी होगी।
- प्रणाली सभी शिकायतें और उनकी स्थितियाँ तथा तथा उनके दर्ज होने की तिथि दिखायेगी।
- यूज़र दिखाई गयी सूची में से अपनी शिकायत चुनेगा।

- प्रणाली पूरे विवरण के साथ शिकायत की स्थिति दिखायेगी। सुलझायी गयी शिकायतों के लिये, समाधान के विवरण भी दिखाये जायेंगे।

<u>अन्य</u>

1) एनएल-एओ के लिये कौन कौन सी रिपोर्ट्स उपलब्ध होती हैं?

एनएल-एओ के लिये उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स निम्नलिखित हैं:

- अंशदान फाइल की स्थिति
- सत्यापन के लिए बकाया आवेदन
- अंशदान की बकाया फाइलें

2) एनएल-ओओ के लिये कौन कौन सी रिपोर्ट्स उपलब्ध होती हैं?

एनएल-ओओ के लिये उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स निम्नलिखित हैं:

- अभिदाता की जमा पूंजी का ब्यौरा
- अभिदाता के लेन-देन विवरणिका

3) एनपीएस-लाइट द्वारा एनएल-ओओ / एनएल-एओ को भेजी जाने वाली विभिन्न सूचनाएं/जानकारियाँ कौन सी हैं?

सीआरए द्वारा एनएल-ओओ / एनएल-एओ को भेजी जाने वाली विभिन्न सूचनाएं/जानकारियाँ इस प्रकार हैं:

- सीआरए प्रणाली में एनएल-एओ के सफल पंजीकरण पर
- सीआरए प्रणाली में एनएल-सीसी के सफल पंजीकरण पर
- पंजीकरण के लिये भेजे गये अभिदाता के आवेदन की अस्वीकृति पर
- अंशदान की फाइल की स्थिति 'मैच फेल्ड' होने पर
- एनएल-एओ अंशदान की फाइल एनपीएस-लाइट द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने पर
- सीआरए द्वारा अभिदाता के बदलाव के आग्रह की अस्वीकृति पर

<u>आहरण</u>

1) एनपीएस लाइट के अंतर्गत आहरण के कौन से प्रकार उपलब्ध हैं?

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के निकासी नियमों के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आहरणों की अनुमति है:

a) सामान्य सेवानिवृत्ति होने पर: अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी खरीदने हेतु संकलित पेंशन पूँजी का कम से कम 40% उपयोग किया जाता है और शेषराशि अभिदाता को एक मुश्त दी जाती है।

यदि कुल पूँज़ी रु.2 लाख रुपए से कम हो तो अभिदाता (स्वावलंबन अभिदाताओं के अलावा) सरकारी क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की दिनांक पर/ गैर-सरकारी क्षेत्र में 60 वर्ष की आयु पुरी होने, संपूर्ण आहरण का विकल्प पा सकता है।

b) मृत्यु होने पर: संपूर्ण संकलित पेंशन पूँजी (100%) अभिदाता के नामित व्यक्ति/कानूनी वारिस को दे दी जाएगी और कोई वार्षिकी नहीं खरीदी जाएगी/कोई मासिक पेंशन नहीं होगी।

c) सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु से पहले एनपीएस से निकलना: अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी खरीदने हेतु संकलित पेंशन पूँजी का कम से कम 80% उपयोग करना पड़ेगा और शेषराशि अभिदाता को एक मुश्त दी जाएगी।

2) कितनी तरह के आहरण प्रपत्र उपलब्ध हैं?

नीचे दी गई तालिका आहरण अनुरोधों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रपत्र के विवरण प्रदान करती है:

आहरण अनुरोध के प्रकार

स्वावलंबन

(एनपीएस-लाइट) वर्ग

सेवानिवृत्ति 501

असामयिक निकास 502

मृत्यु 503

3) अभिदाताओं के लिए आहरण प्रपत्र कहाँ उपलब्ध होते हैं?

आहरण प्रपत्र एनएसडीएल-सीआरए कॉर्पोरेट वेबसाइट (http://www.npscra.nsdl.co.in) पर उपलब्ध हैं। अभिदाता आहरण प्रपत्र पाने के लिए npsclaimassist@nsdl.co.in या info.cra@nsdl.co.in पर ई-मेल भी भेज सकते हैं।

4) अभिदाता की मृत्यु के मामले में संकलित रकम का दावा कौन कर सकता है?

अभिदाता के संबंधित एग्रीगेटर कार्यालय के माध्यम से सीआरए सिस्टम में पंजीकृत नामित व्यक्ति सीआरए में आहरण अनुरोध जमा कर सकता है। यदि नामित व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, तो कानूनी वारिस आहरण अनुरोध दाखिल कर सकता है।

5) दो व्यक्तियों (एक व्यस्क और एक अव्यस्क) को नामित करने वाले किसी एनपीएस अभिदाता की मृत्यु के मामले में, क्या केवल व्यस्क दावाकर्ता द्वारा ही दावा किया जा सकता है?

आहरण निवेदन सीआरए सिस्टम में पंजीकृत सभी नामित व्यक्तियों को दाखिल करना पड़ेगा। यदि नामित व्यक्ति अव्यस्क है, तो अव्यस्क के जन्म प्रमाणपत्र के साथ उसके संरक्षक को आहरण फॉर्म दाखिल करना होगा।

<u>एनपीएस लाइट-अभिदाता</u>

<u>सामान्य</u>

1) पेंशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

पेंशन लोगों की कमाई बंद होने के बाद उन्हें मासिक आय प्रदान करता है.

पेंशन की आवश्यकता:

- लोग वृद्धावस्था में युवावस्था की तरह सक्षम नहीं होते
- लघु-परिवारों का प्रचलन - परिवार के युवा सदस्यों का अलग हो जाना
- जीवनयापन के खर्च में वृद्धि
- ज़्यादा लंबा जीवन

निश्चित मासिक आय स्वावलंबी वृद्धावस्था प्रदान करती है ।

2) एनपीएस - स्वावलंबन क्या है?

‘‘एनपीएस - स्वावलंबन प्रारूप” को बेहद कम प्रशासनिक और लेन-देन के खर्च के लिये तैयार किया गया है, ताकि छोटे निवेश संभव हो सकें।

स्वावलंब योजना भारत सरकार द्वारा घोषित एक योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 में खोले गये प्रत्येक एनपीएस-स्वावलंबन खाते में निम्नलिखित रूप से पाँच वर्षों तक रु. 1000 जमा करेगी

- 2010-2011 में खोले गये खाते को 2014-2015 तक लाभ मिलेगा
- 2011-2012 में खोले गये खाते को 2015-2016 तक लाभ मिलेगा
- 2012-2013 में खोले गये खाते को 2016-2017 तक लाभ मिलेगा

2013-2014 से लेकर 2016-2017 के बीच खोले गये एनपीएस-स्वावलंबन खातों को 2016-2017 तक स्वावलंबन लाभ मिलेगा।

एनपीएस - स्वावलंबन की विशेषताएं:

स्वैच्छिक - भारत के 18-60 वर्ष के योग्य नागरिकों के लिये उपलब्ध। अभिदाता प्रतिवर्ष अपने निवेश की राशि चुनने के लिये स्वतंत्र है।

आसान: असंगठित क्षेत्र के योग्य उम्मीदवार अपने ऐग्रिगेटर के माध्यम से खाता खोलकर व्यक्तिगत अभिदाता (एनपीएस-स्वावलंबन) खाता प्राप्त कर सकते हैं।

सुरक्षित - निवेश के पारदर्शी नियमों के साथ पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा फंड मैनेजर्स की नियमित देख-रेख और प्रदर्शन की समीक्षा।

किफ़ायती - बेहद कम कीमत की संरचना, जिसमें प्रति वर्ष या प्रति अंशदान किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है।

3) एनपीएस-स्वावलंबन बैंक के बचत खाते जैसे अन्य उत्पादों से किस प्रकार अलग है?

एनपीएस - स्वावलंबन सेवानिवृत्ति की आयु होने पर मासिक आमदनी सुनिश्चित करने वाला एक पेंशन प्रॉडक्ट है.

एनपीएस - स्वावलंबन जमा राशि के एक हिस्से का निवेश इक्विटी (स्टॉक) मार्केट में करता है, जिसके कारण इसमें बैंकों और अन्य आर्थिक संस्थानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है । कुल जमा राशि के एक हिस्से का निवेश इक्विटी बाज़ारों में किया जाता है, ताकि जमा राशि तेज़ी से बढ़ सके। हालांकि, इक्विटी पर आधारित अन्य निवेश योजनाओं में जहाँ पैसे खोने का जोखिम अधिक है के मुकाबले एनपीएस - स्वावलंबन में काफी कम है, क्योंकि 55% तक राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और 40% तक राशि का निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जाता है ।

4) स्वावलंबन योजना क्या है और कौन से अभिदाता इसके लिये योग्य हो सकते हैं?

स्वालंबन योजना असंगठित क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा चलायी गयी एक पहल है । यह असंगठित क्षेत्र को सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान करने के लिये उपलब्ध एक पेंशन योजना है और इस योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष रु. 1000/- से रु. 12000/- तक की राशि जमा किये जाने पर भारत सरकार प्रत्येक एनपीएस - स्वावलंबन खाते में रु.1000 का अंशदान करेगी ।

5) किसी अभिदाता को इस पेंशन योजना में इतनी लंबी अवधि तक निवेश क्यों करना चाहिये?

एनपीएस - स्वावलंबन में जमा की गयी राशि अभिदाता के परिवार के भविष्य के लिये किया गया एक निवेश है। अभिदाता को उसकी वर्तमान आमदनी में से जमा की गयी राशि के आधार पर पेंशन प्राप्त होता है । चूंकि पेंशन अभिदाता के काम न करने की अवस्था में मिलता है, इसलिये निवेश की ज़्यादा लंबी अवधि से ज़्यादा अंशदान जमा की जा सकती है, और वृद्धावस्था

में ज़्यादा पेंशन प्राप्त किया जा सकता है । एनपीएस - स्वावलंबन में निवेश की लंबी अवधि, लंबे समय के कारण अधिक लाभ सुनिश्चित करता हैं।

<u>अभिदाता पंजीकरण</u>

1) एनपीएस - स्वावलंबन में कौन खाता खोल सकता हैं?

असंगठित क्षेत्र का कोई भी भारतीय नागरिक निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एनपीएस - स्वावलंबन खाता खोल सकता है:

1. ऐग्रिगेटर द्वारा उसका आवेदन जमा किये जाने की तिथि पर उसकी उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिये.

2. उसे ऐग्रिगेटर द्वारा संपन्न की जाने वाली केवाइसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिये.

3. अभिदाता को कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एवं मिश्रित प्रावधान अधिनियम, कोयला खदान प्रॉविडेंट फंड एवं मिश्रित प्रावधान अधिनियम इत्यादि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिये.

2) एनपीएस - स्वावलंबन खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है?

ऐग्रिगेटर से संपर्क करें ।

2. रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ।

3. केवाइसी दस्तावेज़, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करें.

4. पंजीकरण के समय रु. 100/- का न्यूनतम अंशदान.

5. अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) कार्ड प्राप्त करें.

<u>अंशदान</u>

1) अभिदाता को एक वर्ष में कितनी बार निवेश करना चाहिये?

प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि की कोई भी अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है. अभिदाता को अंशदान की बारंबारता और अंशदान की राशि तय करने की आज़ादी है.

2) एनपीएस - स्वावलंबन में अभिदाता को कितना निवेश करना चाहिये? क्या प्रतिवर्ष न्यूनतम निवेश की कोई सीमा है?

पंजीकरण के समय, अभिदाता को रु.100 की राशि का निवेश करना होगा । हालांकि प्रतिवर्ष अंशदान की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यथोचित पेंशन पाने के लिये प्रतिवर्ष कम से कम रु.1000 का निवेश किया जाना चाहिये ।

3) एनपीएस - स्वावलंबन में पंजीकरण के बाद अभिदाता अंशदान को किस प्रकार जारी रख सकता हैं?

अभिदाता को पंजीकरण के समय और इसके बाद ऐग्रिगेटर के माध्यम से निवेश करना होता है । अभिदाता निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निवेश कर सकता हैं:

1. पंजीकरण के समय न्यूनतम अंशदान - रु. 100

2. हालांकि प्रतिवर्ष अंशदान की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, लेकिन स्वावलंबन लाभ को पाने के लिये रु. 1000/- प्रति वर्ष के निवेश का सुझाव दिया जाता है । लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि ज़्यादा राशि जमा करने पर ज़्यादा पेंशन मिलेगा और चूंकि स्वावलंबन लाभ रु. 12000/- तक के अंशदान पर उपलब्ध है, इसलिये अपने एनपीएस - स्वावलंबन खाते में ज़्यादा से ज़्यादा राशि का निवेश वांछनीय है ।

4) अभिदाता की जमा राशि का निवेश कहाँ किया जायेगा?

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एनपीएस - स्वावलंबन में जमा राशि का निवेश एक ही योजना के अंतर्गत इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है ।

5) मेरे अंशदान पर प्रतिफल की क्या दर होगी?

निवेश प्रतिफल की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस के अंतर्गत प्रतिफल पूरी तरह मार्केट आधारित यानि कि पेंशन निधि योजनाओ की एनएवी पर आधारित हैं। लाभ पूरी तरह एनपीएस से निकलने तक अंशदान की गई राशि और निवेश की वृद्धि पर निर्भर करता है।

<u>रखरखाव</u>

1) **अभिदाता पंजीकरण के समय बैंक खाते के विवरण की आवश्यकता नहीं होती । एनपीएस से बाहर निकलने के समय अभिदाता द्वारा बैंक खाते का विवरण न दिये जाने पर क्या होगा?**

   हालांकि एनपीएस - स्वावलंबन में दाखिले के समय बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी बैंक खाता होना वांछनीय है । लेकिन एनपीएस - स्वावलंबन योजना छोड़ते समय बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि आहरण के समय नकद लेन-देन की अनुमति नहीं है। यह अभिदाता के हित में है ।

2) **क्या अभिदाता द्वारा निवास स्थान, शहर बदल लिये जाने पर भी यह योजना वैध होगी? इस स्थिति में अभिदाता अंशदान कैसे करेगा?**

   अपना निवास स्थान/शहर बदलने पर अभिदाता अपना प्रान अपरिवर्तित रख सकता है । यह प्रान पूरे देश में नये ऐग्रिगेटर के माध्यम से निवेश जारी रखने के लिये वैध होगा । अभिदाता के निवास के नये शहर में ऐग्रिगेटर की शाखा पर पैसे जमा किये जा सकते हैं.

3) **अभिदाता अपने निवेशों की स्थिति और कुल जमा राशि की जानकारी कैसे प्राप्त करता है?**

   अभिदाता को उसके एनपीएस - स्वावलंबन खाते के वार्षिक लेन-देन का वार्षिक विवरण प्रदान किया जायेगा, जिसमें जमा राशि और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते में जमा अंशदान के वर्तमान मूल्य का विवरण होगा। हालांकि अभिदाता किसी भी समय ऐग्रिगेटर के माध्यम से अपने खाते में जमा कुल राशी की जाँच कर सकता है।

<u>आहरण</u>

1) अभिदाता को अपने खाते से आहरण की अनुमति कब होगी?

सामान्यतः एनपीएस-स्वावलंबन खाते से निकासी 60 वर्ष की उम्र में होती है । लेकिन कुछ स्थितियों में इससे पहले भी आहरण की अनुमति होती है. आहरण प्रक्रिया के विवरण इस प्रकार हैं:

1. 60 वर्षों पर निकासी

अभिदाता को वार्षिकी खरीदने के लिये कम से कम 40% जमा रकम (पेंशन निधि) का निवेश करने की आवश्यकता होती है.

सीआरए सिस्टम में कार्यान्वयन के लिये अभिदाता बैंक खाते और आहरण का विवरण ऐग्रिगेटर को अपलोड करने हेतु प्रदान करेगा.

निकासी के समय रु. 1000 का मासिक पेंशन देने का प्रयास किया जायेगा, यदि 40% जमा राशि रु. 1000/- का पेंशन देने के लिये पर्याप्त न हो, तो पेंशन की पूरी संचित राशी का वार्षिकीकरण किया जायेगा.

2. 60 वर्ष से पहले निकासी

अभिदाता को वार्षिकी खरीदने के लिये कम से कम 80% जमा रकम (पेंशन निधि) का निवेश करने की आवश्यकता होती है.

अभिदाता शेष 20% राशि निकाल सकता है.

3. अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में आहरण

मृत्यु की स्थिति में, पूरी संचित राशी नॉमिनी/कानूनी वारिसों को दे दी जायेगी. नॉमिनी/कानूनी वारिसों को मृत्यु प्रमाणपत्र, नॉमिनी की पहचान के प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ ऐग्रिगेटर के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे ।

2) अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति को पैसे कैसे मिलेंगे? कृपया इसकी प्रक्रिया स्पष्ट करें?

अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी निम्नलिखित विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है:

विकल्प 1:

नॉमिनी 100% एनपीएस अंशदान एकमुश्त रूप से प्राप्त कर सकता है.

उन्हें ऐग्रिगेटर से संपर्क करना होगा और मृत्यु प्रमाणपत्र, पहचानपत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे ।

विकल्प 2:

यदि नॉमिनी को एनपीएस जारी रखना हो, तो उसे निर्धारित केवाइसी नियमों को पूरा करके खुद एनपीएस के लिये सबस्क्राइब करना होगा और ऐग्रिगेटर से संपर्क करके एनपीएस - स्वावलंबन का अभिदाता बनना होगा।

3) अभिदाताओं के लिए आहरण प्रपत्र कहाँ उपलब्ध होते हैं?

आहरण प्रपत्र एनएसडीएल-सीआरए कॉर्पोरेट वेबसाइट (http://www.npscra.nsdl.co.in) पर उपलब्ध हैं। अभिदाता आहरण प्रपत्र पाने के लिए npsclaimassist@nsdl.co.in या info.cra@nsdl.co.in पर ई-मेल भी भेज सकते हैं।

4) आहरण प्रक्रिया के बारे में हम कहाँ पूछताछ कर सकते हैं?

आहरण संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए अभिदाता info.cra@nsdl.co.in या npsclaimassist@nsdl.co.in को ई-मेल भेज सकते हैं।

5) कितनी तरह के आहरण प्रपत्र उपलब्ध हैं?

नीचे दी गई तालिका आहरण अनुरोधों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रपत्र के विवरण प्रदान करती है:

आहरण अनुरोध के प्रकार

स्वावलंबन

(एनपीएस-लाइट) वर्ग

सेवानिवृत्ति 501

असामयिक निकास 502

मृत्यु 503